**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 649**

**17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

  **सेना के लिए निजी कंपनियों द्वारा निर्मित गोलाबारूद**

**649**. **श्री विवेक के. तन्खा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 41 आयुध कारखानों, सैन्य बेस कार्यशालाओं, डिपो और सैन्य फार्मों को अपना कार्य समाप्त करने का निर्देश दे दिया गया है या उत्पादन संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखा गया है और क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निर्माण के लिए 222 निजी कंपनियों को लाइसेंस देने का निर्णय लिया है और क्या सरकार ने आयुध कारखानों द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों के निर्माण समेत अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए लाइसेंस नीति को आसान बनाने का निर्णय लिया है:

(ख) सरकारी कारखानों का पुनरुद्धार न करने और उनका निजीकरण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन कंपनियों विशेषकर गन कैरिएज, व्हिकल फैक्टरी, ऑर्डनेंस फैक्टरी, खमरिया और ग्रे आयरन फाउंड्री के पुनरुद्धार की कोई योजना है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क) आयुध निर्माणियों को अपना कार्य समाप्त करने अथवा उत्पादन संबंधी सुविधाओं के वैकल्पिक उपयोग का निदेश नहीं दिया गया है। नारंगी और ऊधमपुर में सेना एडवांस बेस वर्कशाप को मार्च, 2019 तक बंद किया जाना है। इसके अतिरिक्त 506,508,510 एवं 512

…2/-

- 2 -

सेना बेस वर्कशाप (50 प्रतिशत) का अप्रैल, 2019 तक और शेष वर्कशाप को दिसम्बर, 2019 तक जीओसीओ (सरकारी स्वामित्व में संविदाकार द्वारा संचालित) मॉडल के रूप में निगमित किया जाना है। दिल्ली और खड़की को छोड़कर 31 स्टेशन वर्कशाप में से 29 वर्कशाप का भी इष्टतम उपयोग किया जाना है तथा दिल्ली में स्थैतिक वर्कशाप को मार्च, 2019 तक विघटित किया जाना है। केंद्रीय आयुध डिपो, छैओकी को जुलाई, 2019 तक बंद किया जाएगा, आयुध डिपो शकूरबस्ती को दिसम्बर, 2019 तक विघटित किया जाना है तथा वाहन डिपो, पानागढ़ को मार्च, 2019 तक बंद किया जाना है। सैन्य फार्मों के संबंध में 39 सैन्य फार्मों को बंद करने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 सैन्य फार्मों को पहले ही बंद कर दिया गया है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण हेतु अक्तूबर, 2018 तक 239 भारतीय कम्पनियों को 394 लाइसेंस जारी किए हैं। डीआईपीपी ने संशोधित एफडीआई नीति भी अधिसूचित की है जिसके तहत ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% से अधिक सरकारी रूट के माध्यम से अनुमत हैं जिससे इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य संतुलन होने की संभावना है।

(ख) एवं (ग): आयुध निर्माणियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। इन निर्माणियों सहित आयुध निर्माणियों के उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

……